



दिनांक: 29-06-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भण्डाफोड करते हुए 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे/निशादेही पर कुल 09 अवैध शस्त्र (निर्मित व अर्धनिर्मित) व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद

बरामदगी का विवरण:-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 02 पोना बन्दूक 12 बोर
- 02 कारतूस 315 बोर जिन्दा
- 05 कारतूस 12 बोर जिन्दा
- 06 अधबने तमंचे 315 बोर मरम्मत
- 02 नाल 315 बोर
- 02 नाल 12 बोर
- 01 गिराइन्डर
- 01 हथौड़ी
- 03 रेती
- 01 आरी लोहा काटनी
- 08 ब्लेड के पत्ते
- शस्त्र निर्माण से सम्बन्धित आवश्यक छोटे-बड़े उपकरण

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रो/अस्त्रो की तस्करी/बिक्री/निर्माण की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त रोहित उर्फ बाबा पुत्र रजनेश निवासी ग्राम गणेशपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर को ग्राम बुड्डाखेडा पुण्डीर नदी के डूब क्षेत्र में बने कमरे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर अवैध अस्लाह निर्मित/अर्धनिर्मित 01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद पोना 12 बोर, 06 अदद तमंचे 315 बोर अर्धनिर्मित, 02 अदद नाल 12 बोर, 02 अदद नाल 315 बोर, 05 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक पालीथिन में स्कू एक इंच व दो इंच, 01 अदद हथोड़ी, 03 अदद रेती, 01 अदद आरी लोहा काटने की, 08 अदद ब्लेड, 01 अदद छेनी लोहा, 01 अदद सुम्मी लोहा, 01 अदद कैची लोहा काटने की, 02 अदद पेचकस, 01 अदद प्लास, 07 अदद रिप्रिंग छोटी व बड़ी, 01 अदद डार्ड, 04 अदद माचिस, 10 अदद चाप लकड़ी वर्गाकार, 02

अदद पत्ती रेगमाल, 01 अदद ग्रिन्डर, 06 मीटर बिजली की डोरी, 01 डोरी काटने का पंच, 01 एक अदद लकड़ी का गुटका, 01 अदद गैस सिंलेडर छोटा व चूल्हा, 01 अदद चद्वर, 01 अदद प्लास्टिक का कट्टा, 01 अदद टार्च, 01 अदद कपडे का थैला, 01 एक अदद मोटरसाइकिल बिना नंबर व तमंचा बनाने के छोटे बड़े अन्य उपकरण बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 255/26 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट बनाम रोहित उर्फ बाबा 01 अन्य के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त रोहित उर्फ बाबा उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं अपने एक साथी के साथ पुलिस से छिपते-छिपाते नदी के डूब क्षेत्र में सुनसान जगह बने एक कमरे में गैर कानूनी रूप से हथियार बनाने का काम करता हूँ तथा हथियारों को राह चलते व्यक्तियों को अच्छे दामों पर बेच देते हैं इस काम में अच्छी कमाई हो जाती है और जो भी पैस हथियार बेचकर मिलता था उसको आपस में बराबर हिस्से में बांट लेते थे। आज मेरा साथी ग्राहक की तलाश में बाहर गया था कि आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रोहित उर्फ बाबा पुत्र रजनेश निवासी ग्राम गणेशपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

अभियुक्त रोहित उर्फ बाबा उपरोक्त का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 255/26 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अमित सोनी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
4. है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
5. है0का0 231 रोहित थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
6. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
7. का0 244 धर्मेन्द्र कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
8. का0 1323 कुलदीप थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
9. का0 796 अमरजीत थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर



दिनांक: 28.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये 02 बाल अपचारियों को संरक्षण में लिया गया, कब्जे/निशानदेही पर आला कत्ल डण्डा बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 16.05.2026 को वादी मौ0 दिलशाद पुत्र मौ0 हनीफ निवासी ग्राम रसूलपुर बेहट रोड थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के भाई की हत्या कर देने के सम्बंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 204/26 धारा 103(1) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के शीघ्र व सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात श्री हृदयनारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए प्रकाश में आये 02 बाल अपाचारियों को पुलिस संरक्षण में लिया गया। बाल अपचारियों की निशानदेही पर आला कत्ल डण्डा बरामद। बाल अपचारियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष समय से पेश किया जा रहा है।

संरक्षण में लिए गये बाल अपचारी-

02 बाल अपाचरी

बरामदगी का विवरण:-

01 आलाकत्ल डण्डा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री हृदयनारायण सिंह थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री राजीव सक्सेना, प्रभारी एसओजी सहारनपुर
3. निरीक्षक श्री सुनील शर्मा, एसओजी सहारनपुर
4. निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
5. व0उ0नि0 श्री नीरज गुप्ता थाना कोतवाली देहात सहारनपुर (सादे वस्त्रों में)
6. उ0नि0 नीरज पंवार प्रभारी स्वाट टीम जनपद सहारनपुर
7. उ0नि0 अक्षय शर्मा स्वाट टीम सहारनपुर
8. है0का0 870 रोबिन ढाका थाना कोतवाली देहात सहारनपुर (सादे वस्त्रों में)
9. है0का0 1150 विकास पुनिया थाना कोतवाली देहात सहारनपुर (सादे वस्त्रों में)
10. है0का0 1272 इरफान थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
11. है0का0 1296 अंकुर कुमार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
12. है0का0 अमरदीप स्वाट टीम सहारनपुर
13. है0का0 मन्दीप स्वाट टीम सहारनपुर



दिनांक: 29.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना देवबंद पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

दिनांक 29/06/26 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त साजन पुत्र देशराज निवासी ग्राण भनेड़ा खास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाना व वादिया के साथ गाली गलोच करते हुए जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0सं0अ0-413/137 धारा 26(2)/352/351(3) बीएनएस के पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में पीडिता के बयान के आधार पर धारा बीएनएसएस 183के अन्तर्गत मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 3/ 4 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गई।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस-पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना देवबंद श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.06.को 2026 मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त साजन पुत्र देशराज नि ग्राम भनेडा खास थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 0को मकवरा अडडा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

साजन पुत्र देशराज निग्राम भनेडा खास थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 0

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम: -

- 1- उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
- 2- रि रोहित आर्य 665 0का0थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
- 3- रिसतीश सिंह 690 0का0 थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 29.06.2026

-प्रेस नोट-

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

**थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए वाहन 02
मोटरसाइकिल बरामद 02 कब्जे से चोरी की ,अभियुक्त गिरफ्तार/चोर**

घटना का विवरण: -दिनांक 20.06.को वादी इसरार पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी ग्राम भोजपुर तंगा थाना 2026 चिलकाना जिला सहारनपुरकी लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल स्पलेण्डर यूपी 7928 एजे 11को चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु180 0स0अ0/ धारा 26 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

पुलिस कार्यवाही: -वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकसहारनपुर के निर ,्देशन में वाहन चोरीलूट आदि /नकबजनी/ नकबजन अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन /घटनाओं की रोकथाम व वाहन चोर चेकिंग की जा रही है । इसी क्रम मेंपुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक थाना मिर्जापुर श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.06.को मुखबिर की 2026 सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण 1 अभियुक्तगण/वाहन चोर 02 करते हुए.फईम पुत्र इकराम निवासी ग्राम दबकौरा थाना बेहट जिला सहारनपुर 2.साहिल पुत्र शमशाद निवासी दबकौरा थाना बेहट जिला सहारनपुर को शेरपुर पैलो रोड़ रजवाहे के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की) मोटरसाइकिल 0201 स्पलेण्डर मोटरसाइकिल UP11AJ7928 व 01 स्पलेण्डर मोटरसाइकिल UK16 D9769(बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3017(2)/317(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मान्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है । 0

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. फईम पुत्र इकराम निवासी ग्राम दबकौरा थाना बेहट जिला सहारनपुर
2. साहिल पुत्र शमशाद निवासी दबकौरा थाना बेहट जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 मोटर साइकिल स्पलेण्डर रजि 7928 एजे 11 यूपी 0न0
- 01 मोटर साइकिल स्पलेण्डर रजि9769 डी 16 यूके 0न0

आपराधिक इतिहास- (फईम)

मु314 0स0अ0/4 धारा 24/थाना बेहट जिला सहारनपुर 0आयुध अधि 25

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. उ 0नि0श्री सोमेन्द्र थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. हे0का दीपक शर्मा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर 1318 0
4. का पंकज कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर 1666 0



दिनांक: 28.06.2026

-प्रेस नोट-

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये 02 बाल अपचारियों को संरक्षण में लिया गया, कब्जे/निशानदेही पर आला कत्ल डण्डा बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 16.05.2026 को वादी मौ० दिलशाद पुत्र मौ० हनीफ निवासी ग्राम रसूलपुर बेहट रोड थाना को० देहात जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के भाई की हत्या कर देने के सम्बंध में थाना कोतवाली देहात पर मु०अ०सं० 204/26 धारा 103(1) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के शीघ्र व सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात श्री हृदयनारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए प्रकाश में आये 02 बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण में लिया गया। बाल अपचारियों की निशानदेही पर आला कत्ल डण्डा बरामद। बाल अपचारियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा० न्यायालय के समक्ष समय से पेश किया जा रहा है।

संरक्षण में लिए गये बाल अपचारी-

02 बाल अपचारी

बरामदगी का विवरण:-

01 आलाकत्ल डण्डा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री हृदयनारायण सिंह थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री राजीव सक्सेना, प्रभारी एसओजी सहारनपुर
3. निरीक्षक श्री सुनील शर्मा, एसओजी सहारनपुर
4. निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
5. व०उ०नि० श्री नीरज गुप्ता थाना कोतवाली देहात सहारनपुर (सादे वस्त्रों में)
6. उ०नि० श्री निप्पी सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
7. उ०नि० नीरज पंवार प्रभारी स्वाट टीम जनपद सहारनपुर
8. उ०नि० अक्षय शर्मा स्वाट टीम सहारनपुर
9. है०का० 870 रोबिन ढाका थाना कोतवाली देहात सहारनपुर (सादे वस्त्रों में)
10. है०का० 1150 विकास पुनिया थाना कोतवाली देहात सहारनपुर (सादे वस्त्रों में)
11. है०का० 1272 इरफान थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
12. है०का० 1296 अंकुर कुमार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
13. है०का० अमरदीप व है०का० मंदीप कुमार स्वाट टीम सहारनपुर



दिनांक: 29.06.2026

-प्रेस नोट-

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा जमीन के नाम पर धोखाधड़ी के मुकदमों में फरार चल रहा 01
वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटनाओं का विवरण:-

1. दिनांक 16.05.2026 को वादी मौ० परवेज पुत्र नूर आलम निवासी संगम विहार खाताखेड़ी जनपद सहारनपुर की लिखित टाइप शुदा तहरीर बाबत अभियुक्त अदनान पुत्र जिया अहमद निवासी दानिश कोलोनी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर द्वारा धोखाधड़ी कर जालसाजी से फर्जी प्लाट दिखाकर पैसे हड़प लेना व वादी के साथ मारपीट करने व जान के मारने की धमकी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु०अ०स० 203/2026 धारा 318(4)/319(2)/351(2)/3(5) बीएनएस व 318(4)/336(3)/340(2)/115(2)/351(2)/3(5) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।
2. दिनांक 16.05.2026 को वादी सलीम पुत्र अब्दुल वहीद निवासी ग्राम महश्वरी खुर्द थाना कोतवाली जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत वादी को फर्जी प्लाट दिखाकर 12 लाख रुपये हड़प लेने व वादी के साथ गाली-गलौच करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु०अ०स० 206/26 धारा 318(4)/ 319(2)/351(3)/3(5) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।
3. दिनांक 16.05.2026 को वादी मौ० मुआज पुत्र हमाद निवासी मौहल्ला मुफ्ती थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा सजिश के तहत वादी व वादी के ममरे भाई को फर्जी प्लाट लिखाकर वादी से 20 लाख रुपये व वादी के भाई से 23 लाख रुपये हड़प लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु०अ०स० 208/2026 धारा 318(4)/336(3)/340(2)/351(3)/61(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग/गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **वांछित अभियुक्त अदनान पुत्र जिया अहमद निवासी दानिश कालोनी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर को मठ तिराह के पास से गिरफ्तार किया गया।** गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अदनान पुत्र जिया अहमद निवासी दानिश कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री विमल कुमार सैनी थाना को० देहात जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री सुबोध कुमार शर्मा थाना को० देहात जनपद सहारनपुर।
3. है०का० 736 दीपक नागर थाना को० देहात जनपद सहारनपुर।
4. है०का० 241 कपिल कुमार थाना को० देहात जनपद सहारनपुर।
5. है०का० 334 सजीव कुमार थाना को० देहात जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 29.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के मुकदमें में
वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

घटना का विवरण:- दिनांक 27.06.2026 वादिया की दाखिला तहरीर बाबत अभियुक्त जावेद पुत्र मंजूर निवासी असद मस्जिद के पास असद कालोनी थाना मंडी जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया की पुत्री को मस्जिद में उर्दू पढाने के दौरान, मस्जिद के उपरी कमरे में ले जाकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 320/2026 धारा 65(2) बीएनएस व 5(m)/6 पोक्सो एक्ट के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना मण्डी श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए **01 वांछित अभियुक्त जावेद पुत्र मंजूर निवासी असद मस्जिद के पास असद कालोनी थाना मंडी जनपद सहारनपुर** को चिल्काना रोड पर नाई की दुकान के सामने से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

जावेद पुत्र मंजूर निवासी असद मस्जिद के पास असद कालोनी थाना मंडी स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1233 विपिन राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 1570 रवि कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक: 29.06.2026

-प्रेस नोट-
ऑपरेशन सवेरा

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो के विरुद्ध कडी कार्यवाही

थाना बेहट पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी पर करारा प्रहार — 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार,
अभियुक्त के कब्जे से 11.10 ग्राम स्मैक पाऊडर बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में **“ऑपरेशन सवेरा”** – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **“ऑपरेशन सवेरा”** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त सलमान टूटा पुत्र यासीन निवासी ग्राम रीढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर को जंगल ग्राम रीढी मोहिद्दीनपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 11.10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0सं0 266/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

सलमान टूटा पुत्र यासीन नि0 ग्राम रीढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

11.10 ग्राम अवैध स्मैक

आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0 533/2025 धारा 115(2), 191(1), 191(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0 128/2025 धारा 110, 115(2), 303(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0 258/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0 97/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0 360/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0 45/2023 धारा 147, 323, 427, 452, 504, 506 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर

7. मु0अ0सं0 575/2017 धारा 10 सार्वजनिक जुआ अधि0 थाना बेहट जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 461/2022 धारा 3/5 गौवध अधि0 11(1)(D) पशु क्रूरता अधि0 बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र कसाना थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. है0का0 264 अनिल कुमार कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. का0 2183 संजू सैम थाना बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक: 29-062026-

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

दिनांक 23.06.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त 1.सोयब पुत्र इरफान ग्राम घाना खण्डी थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर द्वारा शादी का झासा देकर वादिया के साथ शारिरिक सम्बन्ध बनाने 2. फैजान पुत्र अब्दुल खालिक निवासी ग्राम रीढी मोहीउददीनपुर थाना बेहट सहारनपुर के द्वारा छेडछाड कर सम्बन्ध बनाने का दबाब बनाना व मना करने पर वीडियो बायरल करने का धमकी देना के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु/262 0सं0अ026 धारा 69/75(1)(ii) बीएनएस पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(2) बीएनएस के साक्ष्य उपलब्ध होने पर धारा 64(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकसहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु , निर्देश दिये गये थे । आदेश के अनुपालन में पुलिस-आदेशअधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 29.06. 2026को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दुष्कर्म के मुकदमें में 01**वांछित अभियुक्त फैजान पुत्र अब्दुल खालिक निवासी ग्राम रीढी मोहीउददीनपुर थाना बेहट सहारनपुर** को ग्रांव बोन्दकी रोड पर घाना मोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से मा 0 न्यायालय केसमक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

फैजान पुत्र अब्दुल खालिक निवासी ग्राम रीढी मोहीउददीनपुर थाना बेहट सहारनपुर

आपराधिक इतिहास:-

1. मु112 0सं0अ0/379 धारा 2015/भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर 411
2. मु144 0सं0अ0/34 धारा 2019, 380, भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर 411
3. मु145 0सं0अ0/आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर 25 धारा 2019
4. मु307 0सं0अ0/2 धारा 2019/गैंगस्टर एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर 3
5. मु380 0सं0अ0/3 धारा 2019//ए58 गोवध अधिथाना बेहट जनपद सहारनपुर 0पशु क्रूरता अधि 11 व 0
6. मु100 0सं0अ0/380 धारा 2023, 411, भादवि 457थाना बेहट जनपद सहारनपुर
7. मु152 0सं0अ0/4 धारा 2023/आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर 25
8. मु210 0सं0अ0/2 धारा 2023/गैंगस्टर एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर 3
9. मु190 0सं0अ0/109 धारा 2025(1) बीएनएस 3 /25/आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर 27
10. मु464 0सं0अ0/411 धारा 2019, 420, भादवि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर 465
11. मु10 0सं0अ0/34 धारा 2023, 379, भादवि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर 411
12. मु621 0सं0अ0/303 धारा 2025(2), 317(2) बीएनएस थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
13. मु58 0सं0अ0/303 धारा 2026(2), 317(बीएनएस थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर (2

14. मु262 0सं0अ0/64 धारा 2026,69,75(1)(ii) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम: -

1. उ 0नि0श्री रविन्द्र कसाना थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. का संजू सैम 2183 0थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. का 0अमन कुमार थाना बेहटजनपद सहारनपुर ,



दिनांक 29.06.2026



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 03 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 120 ग्राम अवैध स्मैक (कीमत करीब 24,00,000/- रुपये) व तस्करी में प्रयुक्त वाहन कार बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “**आपरेशन सवेरा 2.0**” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री इंद्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29/06/2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान **03 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. रिजवान पुत्र इमरान नि0 गढी गुजरान मकान न0 36 मिट्टा कस्बा व जिला यमुनानगर हरियाणा 2. अफजाल पुत्र मुख्तियार नि0 ग्राम कातला थाना चिलकाना जिला सहारनपुर 3. नीरज उर्फ बिट्टू पुत्र ब्रहम सिंह नि0 ग्राम पीरपुरा लखनौती थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को कस्बा गंगोह पशु पैठ चौक के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त **रिजवान** उपरोक्त से कुल 100 ग्राम अवैध स्मैक, अभियुक्त **अफजाल** उपरोक्त से 10 ग्राम अवैध स्मैक, व अभियुक्त **नीरज उर्फ बिट्टू** उपरोक्त से 10 ग्राम अवैध स्मैक तथा नशा तस्करी में प्रयुक्त गाडी इग्निस रंग स्लेटी रजिस्ट्रेशन नम्बर **HR 02 AZ 7224 बरामद हुई**। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 321/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में **FORWARD AND BACKWARD** लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक स्वर में बताया कि हम तीनों दोस्त हैं और हम लोगो के पास कोई काम भी नहीं है। हम लोग स्मैक के नशे के आदि हैं। हम लोग योजना बद्ध तरीके से स्मैक बेचने का काम करते हैं तथा नशा करने वाले लोगो की तलाश कर स्मैक बेचने का काम करते हैं। इस काम में अच्छी कमाई हो जाती है जो पैसा मिलता है उसको आपस में बाँट लेते हैं। आज भी हम लोग स्मैक बेचने के लिए निकले थे कि आप लोगो ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. रिजवान पुत्र इमरान नि0 गढी गुजरान मकान न0 36 मिट्टा कस्बा व जिला यमुनानगर हरियाणा
2. अफजाल पुत्र मुख्तियार नि0 ग्राम कातला थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
3. नीरज उर्फ बिट्टू पुत्र ब्रहम सिंह नि0 ग्राम पीरपुरा लखनौती थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- अवैध स्मैक कुल वजन 130 ग्राम
- 01 गाडी इग्निस रजिस्ट्रेश नम्बर HR 02 AZ 7224 (मादक पदार्थ तस्करी मे प्रयुक्त)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अफजाल

1. मु0अ0स0 133/26 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 136/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 बिलेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 मुबारिक अली थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. है0का0 579 शेखर चौहान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. है0का0 639 मुकेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. है0का0 12 अंकुश गोदारा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
7. का0 973 सुनील कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक 29.06.2026

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुरउत्तर प्रदेश ,
थाना गागलहेडी सहारनपुर पुलिस द्वारा 01एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा एनबीडब्लू 01वारण्टी अभियुक्त विकास पुत्र रामकला निवासी कोलकी कला थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं6180 0/ 2024व मु42 0स0अ0/24 धारा भादवि 379 में कोलकी कला से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विकास पुत्र रामकला निवासी कोलकी कला थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ 0नि0श्री अभिनव कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
- .2कातोताराम 2224 0 थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर





दिनांक 29.06.2026

यातायात

पुलिस

जनपद

सहारनपुर

जनपद सहारनपुर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने तथा शहर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालन कराये जाने हेतु जनपद सहारनपुर के समस्त टोल प्लाजा पर माह जून में प्रत्येक सप्ताह शनिवार, रविवार को समय रात्रि 08:00 बजे से 11:00 बजे तक ड्रंक एंड ड्राइव (शराब पीकर वाहन चलाना), मॉडिफाईड साईलेंसर, प्रेशर हॉर्न/हूटर, faulty नम्बर प्लेट, नाबालिग द्वारा वाहन चलाये जाने तथा नो एण्ट्री के समय भारी वाहनों के प्रवेश करने के सम्बन्ध में एक विशेष अभियान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर श्री अभिनन्दन के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक यातायात, श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में चलाया गया। इस अभियान में प्रभारी यातायात श्री अमित तोमर एवं यातायात पुलिस टीम द्वारा चैकिंग की कार्यवाही की गयी एवं चैकिंग के दौरान जनपद के समस्त प्रमुख टोल प्लाजा जैनपुरा टोल, सैय्यज माजरा टोल, गणेशपुर टोल, कोलकी टोल तथा सरसावा टोल प्लाजा पर यातायात पुलिस टीमों के द्वारा बैरियर लगाकर वाहनों को रोका गया तथा चैकिंग/प्रवर्तन की कार्यवाही की गयी।

चैकिंग के दौरान ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के माध्यम से ड्रंक एंड ड्राइव (शराब पीकर वाहन चलाना) के 168. चालान करते हुये 17 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त मॉडिफाईड साईलेंसर/प्रेशर हॉर्न/हूटर के 108 चालान करते हुये 10 लाख 80 हजार का जुर्माना लगाया गया, तथा faulty नम्बर प्लेट के 465 चालान करते हुये 23 लाख का जुर्माना लगाया गया तथा नो एण्ट्री का उल्लघन करने वाले वाहनों के 38 चालान करते हुये 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

यातायात पुलिस सहारनपुर द्वारा माह जून में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने हेतु जनपद के सभी नेशनल/स्टेट हाइवे एवं एक्सप्रेस-वे पर ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहनों को चालको के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुये 4260 चालान कर 86 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, तथा क्षमता से अधिकक सवारी बैठा कर चलने वाले 55 वाहनो के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गयी।

इसके अतिरिक्त चैकिंग के दौरान परिवार के साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों से हाल-चाल पूछते हुये किसी प्रकार की समस्या होने पर समुचित निदान कराया गया, इस कार्यवाही को Meet and Greet की संज्ञा दी गयी, जिस हेतु पर्याप्त मात्रा में महिला पुलिसकर्मी ड्यूटीरत् रहीं एवं चैकिंग स्थल पर आवश्यक सूचना के प्रसारण हेतु लाउड हेलर का उपयोग किया गया।

यातायात पुलिस सहारनपुर समस्त नागरिकों से अपील करती है कि वे यातायात नियमों का पालन करें। शराब पीकर वाहन कदापि न चलाएं तथा सभी ट्रांसपोर्टस तथा आमजन को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में जनपद सहारनपुर में नो एण्ट्री का समय प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक निर्धारित किया गया है, जिसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य है, ताकि सम्भावित सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकें।

भविष्य में भी इस प्रकार के औचक चैकिंग अभियान निरंतर जारी रहेंगे ताकि सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सकें।

“आपकी सुरक्षा हमारा दायित्व”

पुलिस अधीक्षक यातायात
जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 29.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा अवैध खनन परिवहन पर शिकंजा, 01 वाहन/ट्रक को ओवरलोड उपखनिज का परिवहन करते सीज किया गया

अवगत कराना है कि जिलाधिकारी सहारनपुर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अवैध खनन परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु टास्क फोर्स गठित कर लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध खनन परिवहन करते 01 वाहन/ट्रक HR58 E7479 को ओवरलोड उपखनिज का परिवहन करते हुए सीज किया गया। उक्त ट्रक को मय उपखनिज के थाना स्थानीय पर दाखिल किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही के लिये उच्चाधिकारीगण को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।

कार्यवाही का विवरण:-

➤ 01 ट्रक HR58 E7479 ओवरलोड उपखनिज

वाहन जब्त करने वाली टीम का विवरण:-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित थाना बेहट जनपद सहारनपुर मय पुलिस टीम
- 2- खान निरीक्षक श्री अभिलाष चौबे मय टीम